विशेष वाद सं0–254/2008

CNR NO.-UPBR01-000170-2008
सत्र परीक्षण संख्या–415/2009
CNR NO-UPBR01-000184-2009

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–5/विशेष न्यायाधीश गैंग्स्टर एक्ट, बरेली।
उपस्थित– **तबरेज अहमद,** (एच0जे0एस0)**(J.O .Code N0. UP-6298)**
विशेष सत्र वाद सं0–254/2008 (लीडिंग केस)

उ0प्र0 राज्य बनाम
1. हसीन पुत्र अलीजान,
2. जाहिद खां उर्फ नाम पुत्र लियाकत खां,
3. सखावत उर्फ हिप्पी पुत्र रती खां,
निवासीगण ग्राम रम्पुरा माफी थाना भोजीपुरा, जिला बरेली।

धारा–452, 302/34, 323/34 भा0दं0सं0 एवं 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण)अधिनियम 1986
अपराध सं0 194/2008
थाना–हाफिजगंज, जिला बरेली।

आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेने का दिनांक–11.09.2008
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–5 बरेली द्वारा
आरोप विरचित करने का दिनांक–26.03.2009
निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक–21.02.2026
निर्णय पारित करने का दिनांक–07.03.2026

सत्र परीक्षण संख्या–415/2009 (कनैक्टेड केस)

राज्य बनाम सखावत उर्फ हिप्पी पुत्र रती खां, निवासी ग्राम रम्पुरा माफी थाना भोजीपुरा, जिला बरेली।
मु0अ0सं0–282/2008
धारा–25 आयुध अधिनियम।
थाना हाफिजगंज, जिला बरेली।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेने का दिनांक–12.06.2008
सत्र सुपुर्द करने का दिनांक–23.05.2009
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–5 बरेली द्वारा आरोप विरचित करने का दिनांक–12.11.2010

निर्णय

1. अभियुक्तगण **हसीन, जाहिद खॉ** एवं **सखावत उर्फ हिप्पी** का विशेष सत्र वाद संख्या–254/2008 मु0अ0सं0–194/2008 थाना हाफिजगंज धारा–452, 302/34, 323/34 भा0दं0सं0 एवं अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अपराध के आरोपों तथा अभियुक्त **सखावत उर्फ हिप्पी** का विचारण सत्र परीक्षण संख्या–415/2009 मु0अ0सं0–282/2008 का धारा–25 आयुध अधिनियम के अपराध के आरोप में विचारण किया गया।

1.1 अभियोजन की प्रार्थना पर विशेष सत्र वाद संख्या–254/2008 एवं सत्र परीक्षण संख्या–415/09 एक ही घटना से सम्बन्धित होने के कारण उक्त दोनों वादो को समेकित किया

गया तथा विशेष सत्रवाद संख्या–254/2008 राज्य बनाम हसीन आदि, धारा–453, 302, 323 भा0दं0सं0 एवं 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण)अधिनियम 1986 व धारा–25 आयुध अधिनियम थाना हाफिजगंज को लीडिंग पत्रावली बनाया गया तथा इसी पत्रावली में साक्ष्य अंकित किया गया जो सत्र परीक्षण सं0–415/2009 में भी ग्राहय हुआ।

अभियोजन कथानक

2. वादी मुकद्मा शकील उर्फ पप्पू द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 इस आशय की प्रस्तुत की कि वह तथा उसकी पत्नी फरजाना अपने घर में कमरे के अन्दर सो रहे थे तथा उसके बच्चे अन्य चारपाईयों पर सोये हुए थे रात को करीब तीन बजे चार आदमी उसके घर में घुस आये और उसे सोते हुए उठाकर मारते पीटते हुए घर से बाहर ले आये उसकी पत्नी व बच्चे जाग गये थे, हम लोगों ने शोर मचाया तो पास में ही दूसरे मकान में रह रहे उसके पिताजी लाठी लेकर आये और उन्होंने उन लोगों को ललकारा तो उन आदमियों ने पिताजी के गोली मार दी जिससे वह घायल होकर दरवाजे के बादर ही जमीन पर गिर गये शोर शराबा एवं फायर की आवाज पर मोहल्ले के कई लोग टार्चे जलाते हुए आ गये तो वह लोग खेड़े की तरफ भाग गये, सूचना मिलने पर चौकी की पुलिस आ गयी थी, जो घायल पिताजी को लेकर अस्पताल चले गये है। सूचना मिली है कि पिताजी की मृत्यु हो गयी है। मारपीट से उसके शरीर में काफी चोटें आयी है। मोहल्ले के लोगों ने भी उन लोगों को भागते हुए देखा है। उसकी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जाये।

3. वादी की तहरीर प्रदर्श क–1 के अधार पर थाना हाफिजगंज जिला बरेली में चार अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–452, 302, 323 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत मुकद्मा पंजीकृत किया गया। इस मामले की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष योगेन्द्र कृष्ण यादव द्वारा ग्रहण की गयी। उनके द्वारा वादी की पत्नी फरजाना की निशांदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–3 बनाया गया। घटना स्थल से जमीन पर पडा खून सीमेन्ट पपडी खूनालूदा व सादा अलग–अलग डिब्बो में रखकर सील सर्व मोहर कर फर्द प्रदर्श क–4 तैयार की। मृतक के शव का पंचायतनामा प्रदर्श क–15 उ0नि0 डी0सी0 पुंडीर द्वारा भरा गया, पंचायतनामा से सम्बन्धित दीगर कागजात फोटो लाश प्रदर्श क–16, रिपोर्ट थाना कोतवाली प्रदर्श क–17, चालान लाश प्रदर्श क–18, रिपोर्ट थाना कोतवाली प्रदर्श क–19, नमूना मोहर प्रदर्श क–20 तैयार कर शव को सील सर्व मोहर कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और डा0 राजीव कुमार अग्रवाल द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम प्रदर्श क–5 किया। घटना के चुटैल शकील को आयी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण प्रदर्श क–2 डा0 आशु अग्रवाल द्वारा किया। तदोपरान्त मामले की विवेचना निरीक्षक यतीन्द्र बाबू भारद्वाज द्वारा ग्रहण की गयी और दिनांक 11.04.08 को हसीन का सम्बन्धित घटना में शामिल होने की सूचना मिली और उसे दिनांक 19.04.08 को गिरफ्तार किया गया उसके द्वारा इस घटना में उसके साथ शामिल जाहिद व सखावत को बताया गया। उसके बाद उसका स्थानान्तरण हो गया।

4. मामले की विवेचना पी0डब्लू0–9 राहुल शुक्ला द्वारा ग्रहण की गयी। दिनांक 03.05.08 को अभियुक्तगण सखावत उर्फ हिप्पी को को एक अद्द तमंचा देशी 12 बोर व एक अद्द जिन्दा कारतूस तथा जाहिद खां को गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द प्रदर्श क–7 तैयार की और उक्त फर्द के आधार पर अभियुक्त सखावत उर्फ हिप्पी के विरूद्ध मु0अ0सं0–282/08 अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कराया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–2/3 गैंगस्टर एक्ट की वृद्धि की गयी। संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण हसीन, जाहिद एवं सखावत उर्फ हिप्पी के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–127/2008 प्रदर्श क–6 पर तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली से अनुमति प्रदर्श क–7 प्राप्त कर न्यायालय में प्रेषित किया। मु0अ0सं0–282/08 धारा–25 आयुध अधिनियम के मामले की विवेचना उ0नि0 हरिनाथ सिंह द्वारा पूर्ण कर अभियुक्त सखावत उर्फ हिप्पी के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 69/08 प्रदर्श क–10 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. आरोपपत्र न्यायालय में प्राप्त होने पर अभियुक्तगण **हसीन, जाहिद खॉ** एवं **सखावत उर्फ हिप्पी** के विरूद्ध न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान दिनांक 11.09.2008 को

लिया गया एवं अभियुक्तगण को आहूत किया गया और उपरोक्त अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आने के उपरान्त उसे अभियोजन साक्ष्य की वांछित प्रतियां उपलब्ध कराई गई।

6. न्यायालय द्वारा दिनांक 26.03.2009 को अभियुक्तगण **हसीन, जाहिद खॉ** एवं **सखावत उर्फ हिप्पी** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–452, 302/34, 323/34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत इस आशय का आरोप विरचित किया गया कि दिनांक 6/7.04.2008 को समय रात्रि तीन बजे बहद स्थान कस्बा सेंथल थाना हाफिजगंज जिला बरेली में अभियुक्तगण ने साथ मिलकर स्वेच्छया सामान्य आशय की पूर्ति हेतु अपराध करने के आशय से वादी मुकद्मा शकील उर्फ पप्पू के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर गृह अतिचार किया और वादी को सोते से उठाकर मारते पीटते हुए घर से बाहर ले आये, उसके साथ सामान्य उपहति कारित की तथा जब उसके पिता सद्दीक द्वारा ललकारा गया तो अभियुक्तगण ने वादी के पिता की गोली मारकर हत्या कारित की।

6.1 अभियुक्तगण **हसीन, जाहिद खॉ** एवं **सखावत उर्फ हिप्पी** के विरूद्ध धारा–3 सपठित धारा 2 उ0 प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत इस आशय का आरोप विरचित किया गया कि दिनांक 6/7.04.2008 को और उसके पूर्व थाना हाफिजगंज एवं जनपद बरेली के विभिन्न क्षेत्रों में अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह था, जिस गैंग उद्देश्य एकल या संयुक्त रूप से हिंसा, धमकी अवपीडन द्वारा शान्ति भंग करना एवं ऐहिक, भौतिक तथा आर्थिक लाभ हेतु गिरोह बंद होकर समाज विरोधी क्रिया कलापों एवं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर आम जनता में भय व आतंक व्याप्त करके भा0दं0सं0 के अध्याय 16, 17 व 22 में वर्णित आपराधिक गतिविधियॉ कारित की।

6.2 अभियुक्त **सखावत उर्फ हिप्पी** के विरूद्ध धारा–25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का आरोप विरचित किया गया कि दिनांक 02.05.08 को समय 00.40 बजे रात निकट सरदार का ढाबा पीलीभीत रोड थाना हाफिजगंज जिला बरेली में अभियुक्त को उक्त थाना पुलिस द्वारा नाजायज तमंचा 12 बोर एवं एक जिन्दा कारतूस के साथ पकडा गया।

6.4 अभियुक्तगण ने उक्त आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

7. अभियोजन की ओर आरोपों को सिद्ध करने के लिए मौखिक साक्ष्य में निम्न. लिखित साक्षी प्रस्तुत किये गयेः–

गवाह	गवाह का नाम	साबित प्रपत्र
पी0डब्लू0–1	शकील उर्फ पप्पू	तहरीर प्रदर्श क–1
पी0डब्लू0–2	श्रीमती बानो	चक्षुदर्शी साक्षी
पी0डब्लू0–3	श्रीमती फरजाना	चक्षुदर्शी साक्षी
पी0डब्लू0–4	परवाज खॉ	तहरीर प्रदर्श क–1 का लेखक
पी0डब्लू0–5	डा0 आशु कुमार	वादी की चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श क–2 साबित की
पी0डब्लू0–6	योगेन्द्र कृष्ण यादव, प्रथम विवेचक	नक्शा नजरी प्रदर्श क–3, फर्द सीमेन्ट पपडी सादा व खून आलूदा प्रदर्श क–4,
पी0डब्लू0–7	यतीन्द्र बाबू भारद्वाज, द्वितीय विवेचक	अभियुक्त हसीन की गिरफ्तारी
पी0डब्लू0–8	डा0 राजीव कुमार अग्रवाल	पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–5
पी0डब्लू0–9	राहुल शुक्ला, तृतीय विवेचक	आरोप पत्र प्रदर्श क–5ए, अभियोग चलाने की स्वीकृति प्रदर्श क–6, फर्द बरामदगी एवं गिरफ्तारी प्रदर्श क–7, चिक एफ.आई.आर मु0अ0सं0–282/08 प्रदर्श क–8, गैंगचार्ट को प्रदर्श क–9, तमंचा वस्तु प्रदर्श–2, खोख कारतूस क्रमशः वस्तु प्रदर्श–2 व 3
पी0डब्लू0–10	निरीक्षक हरिनाथ सिंह विवेचक धारा 25	नक्शा नजरी घटना स्थल प्रदर्श क–10, आरोप पत्र प्रदर्श क–11, अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श क–12, चिक एफ.आई.आर प्रदर्श क–13, जी0डी0 की कार्बन प्रति प्रदर्श क–12

बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता

8. अभियुक्तगण **हसीन, जाहिद खॉ** एवं **सखावत उर्फ हिप्पी** के बयान धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताया है। पी0ड. ब्लू0–1 लगायत पी0डब्लू0–5 एवं पी0डब्लू0–8 के बयान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। पी0डब्लू0–6 एवं पी0 डब्लू0–7 के बयानों के सम्बन्ध में कहा है कि झूठे बयान दिये है। पी0 डब्लू0–9 के बयानों के सम्बन्ध में कहा है कि गलत विवेचना कर झूठा आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। उनके विरूद्ध मुकद्मा रंजिशन झूठा चला। उसकी ओर से सफाई साक्ष्य प्रस्तुत न करने का कथन करते हुए अतिरिक्त कथन में कहा है कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है।

9. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

10. पी0डब्लू0–1 शकील उर्फ पप्पू ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि करीब साढे पांच साल पहले की घटना है, रात के करीब तीन बजे का समय था, वह अपने मकान की छत पर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ सो रहा था। चार लोग उसके घर में घुस आये, उसके साथ मारपीट की, उसने शोर मचाया जिससे दूसरे मकान में सो रहे उसके पिताजी भी आ गये उन्होंने बदमाशों को ललकारा, बदमाशों ने उसके पिताजी के गोली मार दी, जिससे उसके पिता जमीन पर गिर गये गोली की आवाज व शोर सुनकर मोहल्ले वाले आये थे, उनसमें से कुछ लोगों पर टार्च भी थी। मोहल्ले वालों को देखकर चारो बदमाश भाग गये। थोडी देर बाद चौकी की पुलिस आ गयी और उसके पिताजी को अस्पताल ले गये, फिर थाना रिपोर्ट लिखाने गया तभी पिताजी की मृत्यु की सूचना मिली। उसने परवाज खान से बोलकर तहरीर लिखायी थी, फिर अपना अंगूठा लगवाया था, तहरीर शामिल मिसिल में अपने निशानी अंगूठा की तस्दीक कर प्रदर्श क–1 डाला गया। घटना के एक दो दिन बाद पुलिस ने एक बदमाश को पकडा था, जिसको उसने अपराध करने वालों में पहचाना था। घटना को काफी समय हो गया है, आज वह नहीं पहचान सकता।

10.1 इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि हम लोग छत पर सो रहे थे। वह अपनी बीबी बच्चों के साथ अलग–अलग चारपाई पर सो रहे थे। घटना के समय अंधेरा था, उसके घर का दरवाजा बदमाशों ने तोड दिया था। फायर की आवाज सुनकर मोहल्ले के बहुत से लोग एकत्र हो गये थे। अभियुक्तगण हसीन व जाहिद को देखकर साक्षी ने कहा कि यह लोग घटना के समय नहीं थे। उसने तहरीर में किसी का नाम नहीं लिखाया था, न ही उसने किसी अभियुक्त नाम दरोगा जी को बताया था। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि उसने हाजिर अदालत अभियुक्तगण को देखकर कहा कि घटना वाले दिन इन लोगों ने उस पर कोई हमला नहीं किया था। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है।

11. पी0डब्लू0–2 श्रीमती बानो ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि उसके चार लडके है। पप्पू उर्फ शकील अलग मकान में रहता है व तीन बच्चे उसके साथ रहते है। आज से करीब साढे सात साल पहले की घटना है। रात में करीब तीन बजे शकील के घर में उसकी पत्नी फरजाना के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनायीदी तो उसके पति सद्दीक शकील के घर की तरफ गये तो शकील के घर से तीन चार बदमाश शकील के साथ मारपीट करके भाग रहे थे। वह भी अपने पति के साथ पीछे से गयी थी। उसके पति ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तभी बदमाशों ने उसके पति के गोली मार दी। गोली मारकर बदमाश खेडे की तरफ भाग गये। गोली लगने से उसके पति दरवाजे पर गिर गये थे और लडका शकील चबूतरे पर घायल पडा था। मोहल्ले के काफी लोग आगये थे, जिनकी मद्द से पप्पू व पति को लेकर थाने गये थे। घटना की रिपोर्ट उसके लडके शकील ने लिखायी थी और पति की मृत्यु हो गयी थी। गोली मारने वाले बदमाशों को वह पहचान नहीं पायी थी। हाजिर अदालत मुल्जिम जाहिद को देखकर गवाह ने कहा कि घटना वाली रात उसने जाहिद को फायर करते न देखा था न पहचाना था।

11.1 इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि वह घटना स्थल पर पहुंची थी तब तक बदमाश घटना स्थल से भाग गये थे। उसने किसी को भागते अथवा घटना करते नहीं देखा था। उससे दरोगा जी ने कोई पूछताछ नहीं की थी। हाजिर अदालत मुल्जिम को भी उसने घटना के समय नहीं देखा था। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि वह जब घटना स्थल पर पहुंची तो घटना कारित करने वाले भाग चुके थे, उसने किसी घटना कारित करने वाले को नहीं पहचाना था। उसने मुल्जिम जाहिद को भी घटना के समय नहीं देखा था। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक को कोई बल नही मिलता है।

12. पी0डब्लू0–3 श्रीमती फरजाना ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि आज से लगभग करीब साढे सात साल पूर्व की बात है, रात में करीब तीन बजे उसके घर में 3–4 बदमाश घुस आये थे। उस रात वह व उसके पति शकील उर्फ पप्पू बच्चो के साथ कमरे में सो रहे थे। बदमाश उसके पति को पकड कर कमरे के बाहर ले आये और उनके साथ मारपीट करने लगे। उसने शोर मचाया तो पडोस के मकान से उसके ससुर सद्दीक अहमद आ गये, जिन्होंने उसके पति को बचाने व मुल्जिमानों को पकड़ने का प्रयास किया तभी बदमाशों ने उसके ससुर के गोली मार दी। गोली मारने से ससुर दरवाजे पर गिर गये थे। शोर पर गोली की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग भी आ गये, उसकी सास बानो भी ससुर के साथ उसके घर आ गये थे। गोली मारने के बाद बदमाश भाग गये। उसने गोली मारने वाले बदमाशों को पहचाना नहीं था। हाजिर अदालत मुल्जिम जाहिद घटना वाली रात उसके घर में नहीं घुसा था, न ही इसने उसके पति के साथ मारपीट की न ही इसने उसके ससुर को गोली मारी। घटना में उसके पति को चोटें आयी थी।

12.1 इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि जहॉ पर उसके ससुर को गोली मारी गय वह जब वहॉ पहुंची तो बदमाश भाग चुके थे। उसने बदमाशों को भागते और गोली मारते नहीं देखा था। हाजिर अदालत मुल्जिम जाहिद को घटना करते व घटना स्थल के आ. सपास नहीं देखा, न ही उसने दरोगा जी को किसी के नाम बताये। इस प्रकार इस साक्षी ने भी घटना के समय बदमाशों को नहीं देखा था। अभियुक्त जाहिद ने उसके घर में घुसकर उसके पति के साथ कोई मारपीट नहीं की थी। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है।

13. पी0डब्लू0–4 परवाज खॉ, जो कि तहरीर लेखक है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन कि दिनांक 07.04.2008 को समय करीब 4.30 बजे शाम बरेली से सेथल जा रहा था, थाना हाफिजगंज पर सारे बस्ती के लोग खडे थे, उसने गाडी से उतरकर देखा, उसने पूछा तो मृतक के बेटे पप्पू ने बताया कि मर्डर हो गया आप तहरीर लिख दे जिसे पप्पू ने तहरीर बोली वह बोलते रहे वह लिखता गया। तहरीर गवाह को दिखायी तो उसने कहा कि यह वही तहरीर है जो उसने लिखी थी, उस पर उसका नाम व पता लिखा हैं वादी का अंगूठा लगा है, जिस पर प्रदर्श क–1 पडा है।

13.1 इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि यह तहरीर उसने शाम को 4.30 बजे लिखी थी। इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि उसने वादी के बोलने पर थाना के बाहर तहरीर लिखी थी, उसने कोई घटना नहीं देखी थी। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है।

14. पी0डब्लू0–5 डा0 आशु कुमार अग्रवाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 07.04.2008 को वह जिला चिकित्सालय बरेली में तैनात था, उसी दिन आकस्मिक चिकित्साधिकारी की डियूटी के दौरान प्रातः 6.15 ए.एम. पर उसके द्वारा चुटैल शकील की चोटो का परीक्षण किया गया इनको कां0 अंगन सिंह थाना हाफिजगंज से लेकर आये थे, उसके निम्नलिखित चोटे पायी गयीः–

1. एक फटा हुआ घाव 2.5 सेमी X 0.2 सेमी X मांशपेशियों तक गहरा माथे के दाहिनी तरफ 5 सेमी ऊपर

2. एक फटा हुआ घाव 2.5 सेमी X 0.5 सेमी X मांशपेशियों तक गहरा, वांये गाल पर 4 सेमी

दूरी पर।

3. नीलगू निशान 11 X 0.1 सेमी लगा हुआ। कमर के वांयी एरिया क्रेस्ट से थोडा बाहर की तरफ।

उपरोक्त चोटों के परीक्षण के पश्चात उसने एक्स–रे Skull with mandable A.P lateral दी गयी। चोट सं0–1 व 2 को निगरानी में रखा गया व चोट संख्या–3 सामान्य प्रकृति का पाया। सभी चोटे सख्त व कुंदालय से आना प्रतीत तथा अवधि लगभग तरोताजा थी। उक्त इंजरी रिपोर्ट उसके द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जिस मजरूब का निशानी अंगूठा लगवाकर सत्यापित किया, चिकित्सीय रिपोर्ट पत्रावली पर है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। उपरोक्त सभी चोटे 6/7 अप्रैल 2008 प्रातः आना संभव है तथा लाठी डंडो से आना संभव है।

14.1 इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी, जिसमें उसने कथन किया कि वह चुटैल को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। चुटैल की चोटों का मुआयना उसने दिनांक 07.04.08 को सुबह 6.15 पर किया था। उसने चुटैल को एक्स–रे कराने की सलाह दी थी जो इस समय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। चुटैल ने एक्स–रे कराया या नहीं कराया इसकी जानकारी उसे नहीं है। यह कहना सही है कि मेडिकल रिपोर्ट में दिनांक 7 को ओवर राईटिंग किया गया है। हम लोग चोटों को 6 से 8 घंटे पहले तक की चोटों को ताजा मानते है। यह कहना सही है कि मजरूबी चिट्टी में जो नाम पता लिखा होता है उसको मजरूब से पूछकर सत्यापित करते है यह कहना गलत है कि शकील के चोटों का मुआयना उसने न किया हो। इस प्रकार यह औपचारिक साक्षी है, इसके द्वारा चुटैल शकील की चोटों का परीक्षण किया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य से स्पष्ट है कि चुटैल के चोटे आयी परन्तु वह चोटे अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयी इसकी पुष्टि नहीं होती है। इसलिए इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष को कोई लाभ नहीं मिलता है।

15. पी0डब्लू0–6 एस.एस.आई. योगेन्द्र कृष्ण यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया किया कि दिनांक 7.04.2008 को वह चौकी प्रभारी सेथल थाना हाफिजगंज जिला बरेली पर कार्यरत था। उस दिन थाना हाफिजगंज पर अ0सं0–194/08 धारा 302, 452, 323 भा0दं0सं0 की पंजीकृत होने की सूचना प्राप्त होने पर वह घटना स्थल पर पहुंचा जहॉ थाना कार्यालय से कां0 महेश सिंह व हेड मो0 बनवारी लाल ने घटना स्थल पर आकर उसने चिक व जी0डी0 की नकल लाकर उसे दी। उसने उक्त मुकद्में की विवेचना ग्रहरण की तथा तहरीर वादी व कायमी मुकद्मा जी.डी. की नकल थी। घटना स्थल पर वादी की पत्नी फरजाना तथा गवाह श्रीमती वानो के बयान अंकित किये तथा गवाह फरजाना की निशांदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा नक्शा नजरी तैयार किया उक्त नक्शा नजरी पत्रावली पर आया उसके सामने है जो वलिहाज मौका सही व खसरा दर्ज है। उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। घटना स्थल पर मौजूद व्यक्तियों के समाई साक्ष्य एकत्रित किया तथा घटना स्थल से गवाहान अली नकवी व छोटे उर्फ रईस मियां की गैर मौजूदगी में घटना स्थल की जमीन पर पडा खून, सीमेन्ट पपडी, खूनालूदा व सीमेन्ट पपडी सादा अलग–अलग डिब्बो में रखकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया तथा फर्द अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार कर गवाहान के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा लगाया, फर्द पर प्रदर्श क–4 डाला गया। दिनांक 08.04.2008 को मुल्जिमान की तलाश,पता नहीं व सुरागरसी की तथा मृतक सद्दीक के शव का पोसटमार्टम दिनांक 07.04.2008 को मोरचरी जिला अस्पताल के डाक्टर द्वारा किया गया है तथा मृतक का पंचनामा थाना कार्यालय से प्राप्त किया तथा मजरूब शकील की मेडिकल रिपोर्ट की अंकित की। दिनांक 09.04.08 को बेग अस्पताल बरेली से मजरूब शकील उर्फ पप्पू के बयान अंकित किये। पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट नकल की। इस मुकद्में की नकल की, इस मुकद्में की विवेचना यतीन्द्र बाबू भारद्वाज द्वारा की गयी।

15.1 इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि इस मुकद्में की विवेचना करने जब वह चला तब उसे थाना कार्यालय से उक्त मुकद्में की नकल चिक व नकल रपट विशेष

वाहक कां0 महेश व बनवारी लाल द्वारा प्राप्त हुई थी। उसने मुकद्में की रवानगी नहीं करायी थी, क्योंकि वह पूर्व से रवाना था। रवानगी की जी0डी0 आज उसके सामने नहीं है। माल मुकद्मा खोखा कारतूस, मिट्टी खूनालूदा व सादा आज उसके सामने नहीं है। जो मौके पर सील नमूना मोहर तैयार किया था आज वह उसके सामने नहीं है। यह बात सही है कि यह मुकद्मा अज्ञात में लिखाया गया था। यह कहना भी सही है कि उसके द्वारा की जा रही विवेचना के दौरान किसी भी मुल्जिम का नाम प्रकाश में नहीं आया था। यह औपचारिक साक्षी है, इसकी विवेचना के दौरान किसी भी मुल्जिम का नाम प्रकाश में नहीं आया था। इसलिए इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है।

16. पी0डब्लू0–7 निरीक्षक यतीन्द्र बाबू भारद्वाज ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 394/08 धारा–452, 302, 323 भा0दं0सं0 बनाम चार अज्ञात व्यक्ति दिनांक 11.4.08 को ग्रहण की थी, इससे पर्वू यह विवेचना उ0नि0 योगेन्द्र कृष्ण यादव द्वारा की गयी थी। विवेचना ग्रहण कर उसने सूखे नामक व्यक्ति से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की थी। दिनांक 12.04.08 को मुखबिर की सूचना पर थाना भोजीपुरा के हसीन का इसघटना में शामिल होना पता चला था। इस सम्बन्ध में उसके द्वारा थाना भोजीपुरा के थानाध्यक्ष कौम सिंह से इस व्यक्ति के बारे में जानकारी की गयी थी। दिनांक 19.04.08 को वादी की निशांदेही पर बरेली पीलीभीत रोड पर लभेडा गॉव की पुलिया के पास वादी मुकद्मा की निशांदेही पर अभियुक्त हसनी को गिरफ्तार किया था, जिसने अपना जुर्म इकबाल किया था और इस घटना में अपने साथी सखावत उर्फ हिप्पी व जाहिद तथा एक अज्ञात व्यक्ति को शामिल होना बताया था। मुल्जिम को थाना पर दाखिल किया था।

16.1 इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि इस मुकद्में की विवेचना उसे दिनांक 11.04.08 को प्राप्त हुई थी। यह बात सही है कि इस मुकद्में में उसने तीन पर्चे बनाये। उसके विवेचना ग्रहण करने से पहले इस अभियोग की में चार मुल्जिम अज्ञात थे। किसी मुल्जिम का नाम नहीं खुला था। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त हसीन का नाम प्रकाश में आया था, जिसे वादी ने पहचाना था। हसीन की गिरफ्तारी के पूर्व मुल्जिम सखावत व जाहिद का नाम प्रकाश में नहीं आय। यह कहना गलत है कि मुल्जिम हसीन ने कोई जुर्म का इकबाल न किया हो तथा न ही सखावत व जाहिद के नाम न बताये हो। यह कहना गलत है कि थाना पर बैठकर फर्जी विवेचना की है। यह भी औपचारिक साक्षी है, इसकी विवेचना के समय मुखबिर की सूचना के आधार पर हसीन का नाम प्रकाश में आया था, उसने हसीन को गिरफ्तार किया, उसके बयानों के आधार पर ही शेष मुल्जिमान जाहिद व सखावत उर्फ हिप्पी के नाम प्रकाश में आये थे। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कोई सहायतना नहीं मिलती है।

17. पी0डब्लू0–8 डा0 राजीव कुमार अग्रवाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 07.04.2008 को वह बतौर मेडिकल ऑफिसर किशोर सदन बरेली में तैनात था उस दिन मृतक सद्दीक पुत्र लल्लू निवासी इमला बाग कस्वा सेथल थाना हाफिजगंज बरेली को मृत अवस्था में शीलबंद हालत में से.है.ओ कोतवाली द्वारा 9 पुलिस प्रपत्र सहित भेजा गया था जिसको कां0 विरेन्द्र कुमार व होमगार्ड मो० नवी द्वारा लाया गया था जिसका पोस्टमार्टम मेरे द्वारा क्रम सं० 335/08 पर किया गया मृतक कि उम्र करीब 60 वर्ष रही होगी और मृतक की मृत्यु का सम्भावित समय लगभग आधा दिन था। मृतक सादा कद काठी का आदमी था। मृतक के शरीर पर उपर और नीचे दोनो हाथ–पैरो में अकडन थी। मृतक के शरीर में कोई भी सडने के सिम्पटन नही थे। मृतक के कपडे और सीने पर खून जमा था। मृत्यू पूर्व आई चोटें।

गन शॉट इंजरी wound of entry 3cmx2cm. on right side of chest, chest cavity deep, margin अन्दर की ओर direction of wound inward and upward gunshot injury निप्पल के पास थी और 13cm below medial end of right clavical, 7cm from mid of sternem, multiple rounded small laciration were present surrounding area of wound which were skin to chest cavity deep. 10cmx12cm area in size.

internal examination -1. brain was pale 2. right side ribs no 3,4,5 were fractured. 3. right plura is lacerated. 4. right side lung was lacerated, 12 pillets were present in chest cavity. 5. pericardium was lacerated. 6. heart was lacerated, 5 pillets were present in heart chamber. 7. aorta was lacerated, 2 pillets present. 8. in stomach 100ml fluid was present. 9. Gall bladder full.10. spleen and both kidneys fail. cause of death-shock and hemorahage due to anti mortem gun shot injury.

मृतक के शरीर से एक कमीज, एक बंडी, एक तेहमद, एक अंडरवियर कुल चार कपडे प्राप्त हुए जो जो की उसी कॉस्टेवल को सुपुर्द किये गये। मृतक के शरीर से 19 पिल्लटस प्राप्त हुई थी जो की एक मैच बॉक्स मे शील करके उसी कॉस्टेवल को सुपुर्द कर दी गयी थी पोस्टमार्टम करने के उपरान्त मृतक के शव मय कपडो व मैच बॉक्स के कॉस्टेवल सीपी–139 विरेन्द्र कुमार के सुपुर्द किया गया। गवाह ने पत्रावली में मौजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपने लेख व हस्ताक्षरो की तस्दीक करते हुए प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया।

17.1 इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि वह मृतक सद्दीक को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता था। मृतक की पहचान साथ आये, पुलिसकर्मी द्वारा की गयी थी। पुलिस द्वारा भेजे गये प्रपत्रों के आधार पर उसके द्वारा पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गयी थी। उसने पोस्टमार्टम दिनांक 07.04.08 को समय 3.00 बजे पोस्टमार्टम शुरू किया था और कितने समय में पोस्टमार्टम समाप्त हुआ उसका समय रिपोर्ट पर अंकित नहीं है क्योंकि उस समय समय अंकित नहीं किया जाता था। यह चोट किस असलाह से आ सकती है वह नहीं बता सकता। वह सिर्फ यह बता सकता है कि यह गनशाट इंजरी है, कोई ब्लैकनिंग मृतक के घाव पर मौजूद नहीं थी। मृतक के एक गनशाट के अलावा और कोई चोट का निशान नहीं था। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा पोस्टमार्टम न किया हो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत तरीके से बनायी हो। इस प्रकार यह औपचारिक साक्षी इस साक्षी द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया है, इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कोई मद्द नहीं मिलती है।

18. पी0डब्लू0–9 निरीक्षक राहुल शुक्ला ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया किया कि दिनांक 22.04.2008 को वह बतौर थानाध्यक्ष थाना हाफिजगंज जनपद बरेली पर तैनात था। इस दिन उसे थाना हाफिजगंज पर पंजीकृत मु.अ.सं०–194/2008 धारा–302,452,323 आईपीसी बनाम हसीन, सखावत, जाहिद व एक व्यक्ति अज्ञात की विवेचना प्राप्त हुई थी, विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त उसने पूर्व किता पर्चे का अवलोकन किया। इससे पूर्व की विवेचना श्री यतेन्द्र बाबू भारद्वाज द्वारा की जा रही थी। दिनांक 30.04.2008 को उसने तहरीर लेखक परवाज खाँ, फर्द गवाह अली नवाबी, छोटे उर्फ रहीश मियाँ, गवाह पंचायतनामा बाँके खाँ, बयान पंचायतनामा गवाह भूरे, फईम खाँ, व लेखक फिर कां0 क्लर्क इन्द्रपाल सिहं के बयान अंकित किये। दिनांक 02.05.2008 को उसने अभियुक्त शखावत उर्फ विक्की, जाहिद उर्फ नाम के बयान अंकित किये। दिनांक 15.05.2008 को नकल गैंगचार्ट डी. एम महोदय अनुमोदनशुदा संलग्न सी.डी की। दिनांक 16.05.2008 को अभियुक्तगणो की धारा–2/3 गैंगस्टर एक्ट में तलबी हेतु रिपोर्ट पेश की गयी। दिनांक 16.06.2008 को माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ एक तमंचा एक खोखा कारतूस व मिट्टी सादा व खून आलूदा दिनांक 11.06.2008 को दाखिला दिनांक 17.06.2008 को शेर बहादुर थानाध्यक्ष भोजीपुरा, श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री शहादत हुसैन, बिलाल अली, श्री मेहताब हुसैन के बयान अंकित किये। दिनांक 18.06.2008 को उप निरीक्षक पवन सिंह थाना भोजीपुरा के बयान अंकित किये। दिनांक 22.06.2008 को एसएसपी महोदय को अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की। दिनांक 30.07.2008 को चेयरमैन श्रीमती जाहिद खातून, फईम, शलीम हैदर, सुजात हुसैन, आमिर जैदी के बयान अंकित किये। दिनांक 30.07.2008 को सम्पूर्ण साक्ष्य संकलन के उपरान्त जुर्म बखूबी साबित होने पर उसने आरोप पत्र सं०–127/2008 अभियुक्तगण हसीन, सखावत उर्फ बिप्पी व जाहिद खाँ उर्फ नाम के विरुद्ध न्यायालय प्रेषित की थी। आरोप पत्र कागज सं०–3क मूलरूप से पत्रावली पर है। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसपर प्रदर्श क–05 डाला गया। आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित करने की अनुमति उसने

तत्कालीन एस.एस.पी बरेली श्री राजा श्रीवास्तव से ली थी जो कागज सं०–6ख/1 मूलरूप से पत्रावली पर है जिसपर तत्कालीन तत्कालीन एस.एस.पी बरेली श्री राजा श्रीवास्तव के हस्ताक्षर हैं जिसे तस्दीक करता हूँ जिसपर प्रदर्श क–06 डाला गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया कि वर्ष 2008 में थाना हाफिजगंज में बतौर थानाध्यक्ष तैनात रहते हुए दिनांक 01.05.08 को थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0–194/2008 धारा 302, 452, 323 में वांछित अभियुक्त सखावत उर्फ हिप्पी व जाहिद खां जिनके बारे में मुखबिर की सूचना मिलने पर हमराहीयान उ0नि0 के0पी0सिंह, कां0 छेदालाल, रामनरेश व प्रमोद कुमार के साथ समय करीब 00.40 ए0एम0 पर सरदार ढावा तिराहे से गिरफ्तार किया गया जिसमें सखावत की जामा तलाशी से उसके पेट में फंसा हुआ एक अद्द तमंचा 12 बोर व दांयी जेब से एक जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ, जिसके बारे में उसने बताया कि दिनांक 07.04.08 को अपने साथी जाहिद उर्फ नाम व हसीन के साथ मिलकर कस्बा सेथल में एक घर में घुसकर सद्दीक नाम के व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके समक्ष न्यायालय में सील सर्व मोहर पुलिन्दा खोला गया ,जिसमें से निकले एक तमंचा 12 बोर निकला जिसे वस्तु प्रदर्श–1 तथा पुलिन्दे से निकले दो कारतूसो को क्रमशः वस्तु प्रदर्श–2 व 3 के रूप में साबित किया। इस साक्षी ने पत्रावली में संलग्न फर्द बरामदगी तमंचा देशी 12 बोर आला कत्ल को प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया। उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर उसके द्वारा मु0अ0सं0–282/08 धारा–25 आयुध अधिनियम का मुकद्मा पंजीकृत कराया गया, जिसकी चिक एफ.आई.आर को प्रदर्श क–8 तथा पत्रावली में शामिल गैंगचार्ट को प्रदर्श क–9 के रूप में साबित किया है।

18.1 इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि इस मुकद्मे की असल रवानगी जी0डी0 उसके सामने नहीं है। नमूना मोहर पत्रावली पर नहीं है। नक्शा नजरी उसने तैयार नहीं की। विवेचक हरिनाथ सिंह द्वारा नक्शा नजरी तैयार की गयी है। घटना सील चहल पहल का क्षेत्र है, उसे नहीं मालूम है। नक्शे में महेश्वर का मकान, होटल सरदार ढावा एवं शेर पंजाब ढावा जगदीप सिंह का होटल आदि दर्शाया है। फर्द बरामदगी उसके बोलने पर उ0नि0 के0पी0 सिंह द्वारा लिखी गयी थी। फर्द उसने स्वयं क्यो नहीं लिखी वह उसका उचित कारण नहीं बता सकता है। फर्द तैयारी के समय तथा गिरफ्तारी के समय कोई जनता को गवाह नहीं मिला था। घटना स्थल के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या था इस समय धयन नहीं है। माल मुकद्में के पुलिन्दे पर सील मोहर पढने में नहीं आ रही है। माल मुकद्मा तमंचा वह नहीं कह सकता चालू हालत में है या नहीं जंग लगा है। वह आज की तारीख में मुल्जिमो को नहीं पहचान समता है। इस मुकद्मे की चिक एफ.आई.आर चार अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखायी थी। गिरफ्तारी के समय अभियुक्तगण को वपर्दा नहीं किया गया था न ही शिनाख्त कार्यवाही की गयी। मुल्जिम हसीन के बयानों में सखावत उर्फ हिप्पी व जाहिद का नाम प्रकाश में आया था। घटना के दस दिन बाद लोगों के नाम प्रकाश में आये थे। घटना के एक माह बाद उसने गैंगस्टर की कार्यवाही की थी। उसने गैंगचार्ट का अवलोकन किया था। इस पूरे मुकद्में में उसे अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला था। वादी, वादी की मां तथा वादी की पत्नी के बयान उसके पूर्व विवेचक द्वारा लिये गये थे। पंचायतनामा की कार्यवाही भी उसके द्वारा नहीं की गयी। दौरान विवेचना उसे जनता का कोई ऐसा गवाह नहीं मिला जिसने शिकायत की हो कि मुल्जिमान अवैध धन की मांग करते है और गैंग चलाते है और न ही ऐसा कोई गवाह मिला जिसने अभियुक्तगण द्वारा अवैध धन अर्जित करने हो तथा कोई अवैध सम्पत्ति के बारे में कोई गवाह नहीं मिला। गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्तगण के नाम प्रकाश में नहीं आये थे। यह कहना गलत है कि उसने उपरोक्त विवेचना सही तरीके से न की हो और थाना पर बैठकर ही फर्जी रूप से आरोप पत्र प्रेषित किया हो।

19. पी0डब्लू0–10 निरीक्षक हरिनाथ सिंह ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 02.05.08 को उसकी तैनाती थाना हाफिजगंज पर उपनिरीक्षक के पद पर पर थी। उसी दिन थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–282/08 धारा 25 आयुध अधिनियम की

विवेचना उसके सुपुर्द हुई। इसी दिन उसने नकल चिक नकल रपट, बयान चिक लेखक व बयान अभियुक्त अंकित किये। दिनांक 05.05.08 को वादी थानाध्यक्ष राहुल शुक्ला, गवाह कां0 छेदालाल, कां0 रामनरेश व कां0 प्रमोद कुमार के बयान अंकित किये। दिनांक 13.05.08 को गवाह उ0नि0 कुंवरपाल सिंह की निशांदेही पर घटना स्थल का निरीक्षणक कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–10 तैयार किया। दिनांक 14.05.08 को संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त सखावत उर्फ हिप्पी के विरूद्ध धारा–25 आयुध अधिनियम का आरोप पत्र सं0–69/08 न्यायालय में अपने लेख व हस्ताक्षर में प्रेषित किया, जिसे प्रदर्श क–11 के रूप में साबित किया। उसके द्वारा एस.सी.डी. में अभियोग चलाने की स्वीकृति तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेंट से प्राप्त की, जिसे प्रदर्श क–12 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी ने पत्रावली में शामिल चिक एफ.आई.आर को प्रदर्श क–13 व कायमी जी0डी0 की कार्बन प्रति को प्रदर्श क–14 के रूप में साबित किया है।

19.1 इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि रवानगी जी0डी0 आज उसके सामने उपलब्ध नहीं है। माल मुकद्माती उसके सामने नहीं है। यह मुकद्मा धारा 302 भा0दं0सं0 से सम्बन्धित है। मूल मुकद्मा 07.04.08 का है। यह मुकद्मा 02.05.08 को दर्ज किया गया है। इस मुकद्में के सभी गवाह पुलिस कर्मी है। स्वतंत्र साक्षी अंकित नहीं दिखाये है। घटना स्थल पीलीभीत रोड का है। आबादी क्षेत्र नहीं है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। नक्शे में शेर पंजाब ढावा सरदार खां जयदीप सिंह का ढावा दर्शित किया है। नक्शे के पूरब दिशा में महेश्वर का मकान तथा चक्की दर्शित की गयी है। घटना स्थल के पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में क्या–क्या था इस समय याद नहीं है। वह अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है। उसने श्रीमान् डी0एम.0 साहब के अभियोग चलाये जाने के बावत रिपोर्ट की केस डायरी में इन्द्राज नहीं किया है। असलाह को आरमर चेक करता है, इसकी उसने पृथक से कोई बयान नहीं लिया था। यह कहना गलत है कि उसने इस मुकद्में की समस्त कार्यवाही थाना पर बैठकर फर्जी रूप से करके आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया हो। यह कहना भी गलत है कि उसने अपने उच्च अधिकारियों के कहने व सरकारी आंकडे पूरे करने के लिए अभियुक्त के विरूद्ध फर्जी कार्यवाही की है।

20. पी0डब्लू0–1 वादी मुकद्मा ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी कि वह तथा उसकी पत्नी फरजाना अपने घर में कमरे के अन्दर सो रहे थे तथा उसके बच्चे अन्य चारपाईयों पर सोये हुए थे रात को करीब तीन बजे चार आदमी उसके घर में घुस आये और उसे सोते हुए उठाकर मारते पीटते हुए घर से बाहर ले आये उसकी पत्नी व बच्चे जाग गये थे, हम लोगों ने शोर मचाया तो पास में ही दूसरे मकान में रह रहे उसके पिताजी लाठी लेकर आये और उन्होंने उन लोगों को ललकारा तो उन आदमियों ने पिताजी के गोली मार दी जिससे वह घायल होकर दरवाजे के बादर ही जमीन पर गिर गये शोर शराबा एवं फायर की आवाज पर मोहल्ले के कई लोग टार्चे जलाते हुए आ गये तो वह लोग खेड़े की तरफ भाग गये। घटना के चक्षुदर्शी साक्षीगण पी0डब्लू0–1 वादी मुकद्मा/मजरूब, पी0डब्लू0–2 चुटैल की मां व मृतक की पत्नी तथा पी0डब्लू0–3 जो कि वादी की पत्नी है उनके द्वारा घटना के समय हाजिर अदालत अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण प्रतिपरीक्षा में भी मुख्य परीक्षा के कथनों का समर्थन किया है। पी0डब्लू0–4 तहरीर लेखक है, जिसने थाना के बाहर वादी के बोलने पर तहरीर लिखी थी। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये शेष पी0डब्लू0–5 डा0 आशु अग्रवाल, जिनके द्वारा वादी का चिकित्सीय परीक्षण किया गया, पी0डब्लू0–6 मामले के प्रथम विवेचक जिनके द्वारा वादी की पत्नी की निशांदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना स्थल से सीमेन्ट की पपडी खून आलूदा व सादा कब्जे में लेकर फर्द तैयार की, जिनकी विवेचना के समय किसी अभियुक्त का नाम प्रकाश में नहीं आया। पी0डब्लू0–7 मामले के द्वितीय विवेचक की विवेचना के समय मुखबिर की सूचना पर हसीन का नाम प्रकाश में आया, उसके द्वारा हसीन को गिरफ्तार किया गया जिसके बयानों के आधार पर जाहिद खां व सखावत उर्फ हिप्पी के नाम प्रकाश में आये। पी0डब्लू0–8 डा0 राजीव कुमार अग्रवाल द्वारा

मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पी0डब्लू0–9 मामले के तृतीय विवेचक राहुल शुक्ला द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्तगण जाहिद खां एवं सखावत उर्फ हिप्पी को गिरफ्तार किया तथा सखावत के पास से तमंचा व कारतूस की बरामदगी की गयी, उसके द्वारा ही अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट तैयार करके गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। उक्त सभी औपचारिक साक्षीगण है, उनके साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक को कोई सहायता नहीं मिलती है। अभियोजन अभियुक्तगण **हसीन, जाहिद** एवं **सखावत उर्फ हिप्पी** के विरूद्ध लगाये गये आरोप कि दिनांक 6/7.04.2008 को समय रात्रि तीन बजे बहद स्थान कस्बा सेंथल थाना हाफिजगंज जिला बरेली में अभियुक्तगण ने साथ मिलकर स्वेच्छया सामान्य आशय की पूर्ति हेतु अपराध करने के आशय से वादी मुकद्मा शकील उर्फ पप्पू के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर गृह अतिचार किया और वादी को सोते से उठाकर मारते पीटते हुए घर से बाहर ले आये, उसके साथ सामान्य उपहति कारित की तथा जब उसके पिता सद्दीक द्वारा ललकारा गया तो अभियुक्तगण ने वादी के पिता की गोली मारकर हत्या कारित की, को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

21. अभियुक्त सखावत के विरूद्ध धारा–25 आयुध अधिनियम का भी आरोप है।

22. जहॉ तक अभियुक्त सखावत से एक तमंचा 12 बोर तथा एक जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद होने का प्रश्न है इस संबंध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन द्वारा बरामदगी के जनता के साक्षी प्रस्तुत नहीं किये गये है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–7 के अनुसार अभियुक्त को उसके घर बडी बमनपुरी थाना किला जिला बरेली से उक्त थाना की पुलिस द्वारा दिनांक 02.05.2008 को सुबह 00.40 बजे पकड़ना बताया गया है। उक्त फर्द बरामदगी में अभियोजन की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय जनता के गवाहान लेने का प्रयास किया गया और न ही पुलिस बल द्वारा आपस में जामा तलाशी लिये जाने का इन्द्राज किया गया है।

23. दं0प्र0सं0 की धारा 100 की उपधारा 4 के अनुसार जब किसी व्यक्ति की तलाशी ली जाती है तलाशी लेने से पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति जब तलाशी लेने वाला, तलाशी में हाजिर करनेवाला और उस मोहल्ले जिसमें तलाशी लिये जाने वाले स्थान, के दो या अधिक स्वतन्त्र व्यक्ति और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मामला यदि उस बस्ती का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है या साक्षी होने के लिये रजामंद नहीं है तो किसी अन्य मोहल्ले के ऐसे व्यक्तियों को बुलायेगा और उनको या उनके से किसी एक को ऐसा करने के लिये लिये आदेश कर सकेगा।

23.1 माननीय उच्चतम् न्याालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **केहर सिंह बनाम दिल्ली राज्य 1978 एस0सी0 पेज 1833** में अभिनिर्धारित किया है कि बरामदगी के समय पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि दो सम्मानित व्यक्ति जनता के लिये जाये यदि पुलिस द्वारा जनता के दो सम्मानित व्यक्ति नहीं लिये जाते है तो ऐसी बरामदगी संदिग्ध मानी जायेगी। माननीय उच्चतम् न्याालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **यूनियन आफ इण्डिया बनाम जरूर पारण ए0आई0आर 2018 एस0सी0 पेज 1927** में अभिनिर्धारित किया है कि बरामदगी के जनता के गवाह हैं और वे पक्षद्रोही हो गये है। या पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति से कोई वस्तु बरामद की जाती है और जनता के स्वतन्त्र साक्षी नहीं लिये जाते है। तब ऐसी बरामदगी अभियुक्त के विरूद्व साबित हुई नहीं मानी जा सकती है।

23.2. माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **कृष्णमोहन सिंह दुग्गल बनाम गोवा राज्य ए0आई0आर0 1999 एस0सी0 3842,** में अभिनिर्धारित किया गया है कि जहॉ बरामदगी का स्थल ऐसा हो जो सबके लिये खुला है कोई भी वहॉ आ जा सकता है तब ऐसे स्थल से बरामदगी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

23.3 माननीय उच्चतम् न्यायलय द्वारा अपनी विधिव्यवस्था राजेश एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 2023 सुप्रीम कोर्ट पेज 4759 (Three judges

Bench) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधायी मंशा किसी स्थान की तलाशी और किसी वस्तु की जब्ती के लिये स्वंत्रत और सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति अनिवार्य बताकर अधिकारियों के इन कदाचारो को नियत्रित और जांचना था। पंचानामा के पीछे प्राथमिकी उद्देश्य तलाशी के निष्पादन के लिये सौपे गये अधिकारियों की और संभावित चाल और अनुचित व्यवहार से रक्षा करना है। यह भी सुनिशचित करने के लिये कि तलाशी किये गये परिसर में जो कुछ भी आपत्तिजनक पाया गया, वह वास्तव में वही पाया गया था तथा खोज दल के अधिकारियों द्वारा प्रत्यारोपित नही किया गया था। पंचनामा का उपयोग अदालत में पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में किया जाना चाहिये जब सम्मानित व्यक्ति जो इसके गवाह है साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत न्यायालय में साक्ष्य देता है। माननीय उच्चतम् न्यायालय ने दं0प्र0सं0 की धारा 100 (4) से धारा 100 (8) तक 2 या 2 से अधिक सम्मानित और स्वतन्त्र व्यक्तियों, अधिमान्यता एक इलाके से की उपस्थिति में तलाशी के संबंध में प्रकिया निर्धारित करते हुये धारा 100 दं0प्र0सं0 के अनुसार निम्नलिखित शर्तो को निकाला गया जो कि आज्ञापक है–

(A) निरीक्षण अधिकारी को तलाशी लेते समय पंच गवाहो को लेना चाहिये, ताकि न्यायालय के मन में यह विश्वास उत्पन्न हो सके कि तलाशी के दौरान कुछ भी प्रत्यारोपित नही किया और तलाशी में जो चीजे जब्त की गयी है वह सब असली है।

(B) तलाशी की कार्यवाही विवेचक या तलाशी लेने वाले अधिकारी द्वारा पंच गवाहो की देखरेख में की जानी चाहिये।

(C) तलाशी की सभी कार्यवाही बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्ज की जानी चाहिये, जिसमें तलाशी वाले स्थानो की पहचान, उन स्थानों का विवरण और यह भी स्पष्ट लिखा जाना चाहिये कि क्या विश्लेषण के उद्देश्य से कोई नमूना लिया गया है। पंचनामें में यह सब तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिये।

(D) विवेचक स्थानों की तलाशी के लिये अपने अधीनस्थों की सहायता ले सकता है यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हो तो उसे मुख्य जॉच अधिकारी के हस्ताक्षर के उपरान्त हस्ताक्षर करने चाहिये।

(E) पंचनामें में स्थान, पुलिस स्टेशन का नाम, तलाशी लेने वाले अधिकारी की रैंक, पंच गवाह का पूर्ण विवरण, पंचनामा शुरू होने और समाप्त होने का समय आवश्यक कार्यवाही अंकित किया जाना चाहिये।

(F) पंचनामें को पंच गवाह के साथ–साथ विवेचक द्वारा भी सत्यापित किया जाना चाहिये।

(G) पंचनामें में किसी भी ओवरराइटिगं, सुधार और त्रुटियों को गवाहो द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिये।

(H) यदि दं0प्र0सं की धारा 165 के तहत न्यायालय के वारण्ट के बिना तलाशी ली जाती है तो विवेचक को कारण दर्ज करना होगा और एक तलाशी ज्ञापन जारी करना चाहिये।

माननीय उच्चतम् न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि ऐसा पंचनामा न्यायालय में अस्वीकार होगा यदि उसे जॉच अधिकारी द्वारा दं0प्र0सं0 162 का उल्लघंन करते हुये अंकित किया है क्योंकि प्रकिया के लिये जॉच अधिकारी को तलाशी कार्यवाही के रिकार्ड करने की आवश्यकता होती है जैसे कि वे पंचनामा द्वारा लिखे गये थे। पंच स्वंय गवाही देते है और इसे गवाहो की जॉच के समय दर्ज किया जाना चाहिये जैसा धारा 161 दं0प्र0सं0 में अभिनिार्धारित है।

23.4. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0डब्लू–9 ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि दिनांक 01.05.08 को थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0–194/2008 धारा 302, 452, 323 में वांछित अभियुक्त सखावत उर्फ हिप्पी व जाहिद खां जिनके बारे में मुखबिर की सूचना मिलने पर हमराहीयान उ0नि0 के0पी0सिंह, कां0 छेदालाल, रामनरेश व प्रमोद कुमार के साथ

समय करीब 00.40 ए0एम0 पर सरदार ढावा तिराहे से गिरफ्तार किया गया जिसमें सखावत की जामा तलाशी से उसके पेट में फंसा हुआ एक अद्द तमंचा 12 बोर व दांयी जेब से एक जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि फर्द तैयारी के समय तथा गिरफ्तारी के समय कोई जनता का गवाह नही मिला। पी0डब्लू0–10 विवेचक ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा कि उसने किसी स्वतंत्र साक्षी के बयान अंकित नहीं किये। प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकद्मा एवं विवेचक पुलिस कर्मचारी है, साक्षीगण भी पुलिस कर्मचारी हैं तथा विवेचक भी पुलिस कर्मचारी है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओ के आलोक में किसी स्वतन्त्र साक्षी के बिना अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

24. अभियुक्त सखावत उर्फ हिप्पी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि अभियुक्त से जो कथित तमंचा व कारतूस बरामद किया उसको सील करने के सम्बन्ध में कोई नमूना मोहर पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि जो माल न्यायालय के समक्ष पेश किया गया वह अभियुक्तगण से ही बरामद हुआ था।

24.1 माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **मनीराम बनाम राजस्थान राज्य 1993 पेज 2530 एस0सी,** में अभिनिर्धारित किया गया है कि निःसन्देह दाण्डिक वादों में लिंक साक्ष्य औपचारिक प्रकृति का होता है किन्तु कभी–कभी यह अभियोजन साक्ष्य की सम्पुष्टि हेतु अत्यअधिक महत्व का हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि अभियोजन लिंक साक्ष्य पेश नहीं करता है तो इससे अभियोजन केस की सत्यता व विश्वसनीयता पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है।

24.2. माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **सुखवन्त सिंह बनाम पंजाव राज्य 1995 एस0सी0सी0 क्रिमिनल पेज 524,** में अभिनिर्धारित किया गया है कि जब अपराध विशेषकर गम्भीर अपराध फायर आर्म्स से कारित किया जाता है तब कुछ सीमा तक बैलैस्टिक विशेषज्ञ की राय अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेषकर जब अपराध में प्रयुक्त फायर आर्म्स की दौरान विवेचना बरामदगी हो जाती है।

24.3 माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **जसपाल बनाम पंजाव राज्य जे0सी0आर0सी0 1999 पेज 137 एस0सी0 एवं उत्तराखंड राज्य बनाम जरनैल सिंह, ए.आई.आर 2017 एस.सी. 5353** में अभिनिर्धारित किया गया है कि जहॉ अभियुक्तगण के कब्जे से रिवाल्वर, कारतूस या तमंचा बरामद होता है तो से चालू हालत में तभी माना जा सकता है जबकि इस सम्बन्ध में आर्मर की कोई आख्या पत्रावली पर मौजूद हो तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला से इसकी जॉच करायी गयी हो और बैलेस्टिक विशेषज्ञ यह राय दे दे कि यह हथियार चालू हालत में है और इससे फायर किया गया।

24.4 चूँकि नमूना मोहर पत्रावली पर दाखिल नही किया गया है जिससे यह साबित नही होता है कि अभियुक्त से जो माल बरामद हुआ है उसे उचित अभिरक्षा में रखा गया और उसे ही न्यायालय मे पेश किया गया।

24.5. अभियोजन की ओर से अभियुक्त से बरामद तमंचा व कारतूस को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जॉच के लिये नही भेजा गया इसलिये बिना किसी विशेषज्ञ की राय के यह नहीं कहा जा सका कि अभियुक्त से वास्तव में तमंचा व कारतूस की बरामदगी हुई।

25. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि रवानगी की जी0डी0 को अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है और न ही साबित कराया गया है जिससे घटनास्थल पर घटना के दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मचारीगण की उपस्थिति सिद्ध नहीं होती है।

25.1 यह बात सही है कि रवानगी की जी0डी0 पत्रावली पर दाखिल नहीं की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **रामालाल बनाम राज्य 2005 (52)ए0सी0सी0 पेज 5458** में अभिनिर्धारित किया है कि जी0डी0 रवानगी पुलिस

कर्मचारी की घटना स्थल पर उपस्थिति दर्ज करने हेतु आवश्यक दस्तावेज है यदि जी0डी0 की प्रति अभियोजन पक्ष द्वारा दाखिल कर सिद्ध नहीं की गयी है। तो ऐसे में पुलिस कर्मचारीगण की एवं अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है। इस मामले में अभियोजन की ओर से रवानगी की जी0डी0 दाखिल नहीं की गयी है जिस कारण से भी अभियोजन द्वारा जिन कथित पुलिस कर्मचारीगण को घटना स्थल पर उपस्थित होना बताया गया है। उनकी उपस्थिति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था के आलोक में संदिग्ध हो जाती है।

26. अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि इस मामले में विवेचना निष्पक्ष रूप से नही की गयी है क्योकि विवेचक वादी मुकदमा के अधीनस्थ थे उसने उनके दबाब में अभियुक्त के विरूद्व आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया और किसी स्वतन्त्र साक्षी के बयान अभियोजन द्वारा नही लिये गये तथा सभी बरामदगी के साक्षी पुलिस कर्मचारी है न ही अभियुक्त से बरामद खुकरी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

26.1 विवेचक पी0डब्लू0–9 धारा–302 भा0दं0सं0 के विवेचक एवं धारा–25 आयुध अधिनियम के वादी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने जनता के किसी ऐसे व्यक्ति का बयान अंकित नहीं किया, जिससे साबित हो घटना घटित हुई हो और विवेचक पी0डब्लू0–10 उसके अधीनस्थ थे, उनके द्वारा भी कथन किया गया है कि उसके द्वारा जनता के किसी भी व्यक्ति से इस घटना के सम्बन्ध में कोई पूछताछ नहीं की गयी।

26.2 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **रघुवीर बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एस0सी0स0ी 1995 पेज 216 एंव शहीद अख्तर बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2018 (3) जे0आई0सी0 इलाहाबाद** में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि विवेचना अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा नहीं की जानी चाहिये। यदि विवेचना वादी मुकदमा एस0एच0ओ0 के अधीनस्थ एस0आई0 द्वारा की गयी है तो ऐसी विवेचना को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है। **माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था शीला शैबिस्च्यिन बनाम राज्य एवं अन्य 2018 (2) सी0सी0एस0सी 1126 एस0सी0** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति, अन्वेषण करते समय तत्पर होने की प्रत्याशा की जाती है, कि उसे निष्पक्ष होना चाहिये, पारदर्शी होना चाहिये, उसका मात्र प्रयास सच का पता लगाना ही होना चाहिये। अंसतुलित अन्वेषण में कमियां मूल तक जाती है और अभियोजन मामले के लिये घातक है।

26.3 माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **श्रीमती गार्गी बनाम हरियाणा राज्य ए0आई0आर0 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 1086 में** यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निष्पक्ष अन्वेषण किया जाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त का मौलिक अधिकार है और यदि अन्वेषण उचित प्रकार से नही किया जाता है तो अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना चाहिये।

26.4 माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **अंकुश शिन्दे व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य ए0आई0आर0 219 सुप्रीम कोर्ट 1457** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहॉ अन्वेषण एजेन्सी के भाग पर अन्वेषण में तमाम खामियॉ व त्रुटियॉ है और निष्पक्ष अन्वेषण नही हुई वहॉ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20,21 के तहत जो मौलिक अधिकार दिये गये है तो वह उनका उल्लघंन है। इस प्रकार माननीय उच्चतम् न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो सिद्वान्त अपनी विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित किये गये है उनके आलोक में विवेचना को निष्पक्ष नही माना जा सकता है।

26.5 माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **रणवीर सिंह एंव अन्य बनाम मण्य प्रदेश 2023(2) सी0सी0एस0सी 843 सुप्रीम कोर्ट** में यह अभिनिर्धारित किया गयां कि एक अन्वेषण अधिकारी से लोकसेवक होने के कारण अन्वेषण निष्पक्ष रूप से करने की प्रत्याशा की जाती है। ऐसे अधिकारी का भी एक अधिकारी होता है और उसका कर्तव्य है कि सच्चाई का पता लगाना तथा सही निष्कर्ष पर पहुॅचने के लिये न्यायालय की सहायता करना तथा उसको किसी भी पक्ष से कोई सरोकार नही होता। दोषपूर्ण अन्वेषण और उस अन्वेषण जो

प्रकृल्पित एंव जानबूझकर कृत्य अथवा अकृत्य द्वारा सम्मुख लाया गया हो, के बीच सूक्ष्म अन्तर होता है। दोषपूर्ण अन्वेषण स्वतः अभियुक्त को जब तक कोई लाभ प्रदान नही कर पायेगा, जब तक वह प्रकृति में मूलभूत मामले के तह तक नही जाता हो तथा दोषपूर्ण अन्वेषण से संव्यवहृत होते समय विधि के न्यायालय से इस सिद्वान्त पर उपलब्ध साक्ष्य की छानबीन करने तथा सच्चाई का पता लगाने की प्रत्याशा की जाती है, कि प्रत्येक मामलें में सच्चाई के प्रति ही कार्य अर्न्तग्रस्त हो। सत्संबंध में या तो अभियोजन द्वारा या न्यायालय द्वारा कोई आडंबरपूर्ण दृष्टिकोण नहीं दर्शाया होगा, क्योंकि मामलें में नैतिकता की अपेक्षा विधि का तत्व अर्न्तग्रस्त होता है।

26.6 इस मामले के विवेचक द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी का बयान लेने का प्रयास नहीं किया गया। विवेचक वादी मुकद्मा के अधीनस्थ पुलिस अधिकारी है। विवेचक द्वारा अभियुक्त से बरामद तमंचा व कारतूस को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगयााला नहीं भेजा। विवेचक द्वारा जिन धाराओं में मुकद्मा पंजीकृत हुआ उन्हीं धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया, उनके द्वारा सच्चाई जानने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वादी मुकद्मा पी0डब्लू0–9 राहुल शुक्ला मामले का वादी है और उसने अभियुक्त के विरूद्ध उसके अधीनस्थ उ0नि0 हरिनाथ सिंह पी0डब्लू0–10 ने विवेचना कर आरोप पत्र भी प्रेषित किया है। अतः ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं के आलोक में जो विवेचना की गयी है उसे निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता।

27. उपरोक्त विवेचना व माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओ के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि अभियोजन अभियुक्त सखावत उर्फ हिप्पी से दिनांक 02.05.2008 को समय 00.40 बजे रात बहद स्थान निकट सरदार का ढाबा पीलीभीत रोड थाना हाफिजगंज जिला बरेली में एक अदद तमंचा 12 बोर व एक जिन्दा कारतूस नाजायज की बरामदगी को तर्क पूर्ण सन्देह से परे साबित करने में अभियोजन पूर्ण रूप से असफल रहा है।

28. अभियुक्त के विरूद्ध धारा–3(i) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण)अधिनियम 1986 का भी आरोप है।

29. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि गैंगचार्ट तैयार करते समय शासनादेशों का पालन नहीं किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध इस मामले में आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया था और इस मामले में गैंगचार्ट सम्मिलित कर लिया था। विवेचक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य संकलित नहीं किया कि अभियुक्त ने अपराध कारित करके कोई अवैध सम्पत्ति अर्जित की हो। अभियुक्त के विरूद्ध विधि विरूद्ध तरीके से धारा–2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की बढोत्तरी की गयी और उसमें आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा–3(i) गैंगस्टर एक्ट का जो आरोप विरचित किया गया है वह संदेह से परे साबित नहीं है। अभियुक्त गैंगचार्ट में दर्शित मु0अ0सं0–194/08 अन्तर्गत धारा–302, 452, 323 भा0दं0सं0 एवं मु0अ0सं0–282/08 अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम के मामले में दर्शित किये गये है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध नहीं दर्शाया गया है। इसलिए उन्होंने उक्त आरोप से अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

30. उपरोक्त विवेचना एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबा की विधि व्यवस्थाओं के आलोक में तथा पत्रावली पर जो साक्ष्य उपलब्ध है, उसके परिशीलन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पूर्व में न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध गैंगचार्ट में दशिर्त मु0अ0सं0 194/08 अन्तर्गत धारा–302, 452, 323 भा0दं0सं0 में अभियोजन अभियुक्तगण **हसीन, जाहिद** एवं **सखावत उर्फ हिप्पी** एवं अभियुक्त **सखावत उर्फ हिप्पी** मु0अ0सं0–282/08 अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम में अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय **फरहाना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 IN एस.सी. 118** तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था

अफजाल अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 ए एच सी 121066 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि अभियुक्तगण को यदि गैंगचार्ट में दिखाये गये मुकद्मों में दोषमुक्त कर दिया जाता है तो अभियुक्त को धारा–3(1) उ0 प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

30.1 प्रस्तुत प्रकरण में उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) नियमावली एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश शासन एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एवं उच्च न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्थाओं के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किये गये, के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा गैंगचार्ट का अनुमोदन बिना किसी न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये यंत्रवत कार्य किया और पूरे कार्य में सम्बन्धित प्राधिकारियों की ओर से अपने बिना विवेक के कार्य किया है तथा सक्षम प्राधिकारियों ने विद्यायी आदेश के प्रति दिखावा किया और गैंगचार्ट की तैयारी और अनुमोदन की पूरी प्रक्रिया को बिना सोचे समझे एक औपचारिक औपचारिकता के रूप में पूरा किया। पत्रावली पर ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है कि जिला मजिस्ट्रेंट व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली द्वारा संयुक्त बैठक कर उचित चर्चा के पश्चात गैंगचार्ट का अनुमोदन किया हो। जिलाधिकारी बरेली द्वारा भी गैंगचार्ट स्वीकृत करते समय तथा अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया न ही उनके द्वारा कारण दर्शित किया। विवेचक द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य संकलित नहीं किया कि अभियुक्तगण के द्वारा गैंगचार्ट में दर्शित मुकद्मों के माध्यम से गिरोह बनाकर के अपने लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास द्वारा या अन्य प्रकार से समाज विरोधी क्रिया कलाप कर अवैध सम्पत्ति अर्जित की हो। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2, पी0डब्लू0–3 जो कि घटना के मजरूब व चक्षुदर्शी साक्षी है उनके द्वारा अपने सम्पूर्ण साक्ष्य में कहा कि न्यायालय में हाजिर अभियुक्तगण को उन्होंने घटना कारित करते नहीं देखा था। इस प्रकार अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 6/7.04.2008 को और उसके पूर्व थाना हाफिजगंज एवं जनपद बरेली के विभिन्न क्षेत्रों में अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह था, जिस गैंग उद्देश्य एकल या संयुक्त रूप से हिंसा, धमकी अवपीडन द्वारा शान्ति भंग करना एवं ऐहिक, भौतिक तथा आर्थिक लाभ हेतु गिरोह बंद होकर समाज विरोधी क्रिया कलापों एवं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर आम जनता में भय व आतंक व्याप्त करके भा0दं0सं0 के अध्याय 16, 17 व 22 में वर्णित आपराधिक गतिविधियॉ कारित की, तर्क पूर्ण संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जो तर्क दिये गये है उन तर्को में बल पाया जाता है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध धारा–3(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

31. माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था **सुखदेव यादव बनाम स्टेट आफ बिहार ए0आई0आर0 2001 सुप्रीम कोर्ट पृष्ट 3678** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन का कर्तव्य है कि वह अपना केस निश्चितता के सन्देह से परे साबित करे। अभियोजन के केस में आये सन्देह का लाभ अभियुक्तगण पाने के हकदार है।

31.1 माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था **स्टेट आफ राजस्थान बनाम शीशपाल ए0आई0आ0 2016 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 4958** एवं **खेखराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2018 (1) जे0आई0सी0 पेज 207 एस0सी0** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आपराधिक विधि शास्त्र का यह मूलभूत सिद्वान्त है कि अभियोजन को अपना मामला अभियुक्तगण को दोषसिद्व ठहराने के लिये सभी तर्क संगतपूर्ण सन्देह से परे साबित करना होगा। अपने मामले को सभी तर्कपूर्ण सन्देह से परे साबित करने का भार हमेंशा अभियोजन पर होता है और यह भार कभी भी नहीं बदलता।

31.2 माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था **दिगम्बर वैष्णव एवं**

अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2019 (2) सी0सी0एस0सी0 1047 एस0सी0 (Three judges Bench) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्वान्तों में से एक अप्रत्याख्यानित रूप से यही है कि सबूत का भार सुस्पष्ट रूप से अभियोजन पर होता है और यह कि सामान्य भार कभी भी अन्तरित नहीं होता। अनुमानों एवं अटकलबाजियों या सन्देहों के आधार पर, व चाहे जितना घोर हो, कोई दोषसिद्वि नहीं हो सकती। ठोस संदिग्धता, ठोस सहआनुषंगिकता एवं घोर सन्देह विधिक सबूत का स्थान नहीं ले सकते। अभियोजन का भार निर्वहन ठोस संदिग्धता एवं अभियुक्त को अपराध में आलिप्त करने के लिये अत्याधिक संदेहास्पद कारकों को विद्यमानता का संदर्भ देकर नही किया जा सकता और न ही प्रतिरक्षा का मिथ्यापन उस सबूत का स्थान ले सकता है, जिसे अभियोजन को सफल होने के लिये साबित करना है।

31.3 **The Honrable Apex Court held in Jai Parkesh Tiwari vs State of M.P AIR 2022 SC 3601 (Three judges Bench)** it is an established privciple of criminal law that burdon of proving the guilt of the accused reasonable doubt is upon the prosecution.

31.4 माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था **राजाराम बनाम मारूथाचलम 2023 (1) सी0सी0 एस0सी0 420 (एस0सी0)** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दाण्डिक मामलों में न्यायनिर्णयन इस सिद्वान्त पर आधारित होता है कि अभियुक्त के विषय में निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है और अभियुक्त का दोषी होना पूर्णतया साबित किया जाना चाहिये और समस्त साक्ष्य युक्तियुक्त सन्देह से परे होने चाहिये।

31.5 विधि व्यवस्था **भूपाभाई बच्चू भाई छावडा बनाम गुजरात राज्य ए.आई.आर 2024 एस.सी. पेज 1805** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब तक अभियुक्त पर साबित करने का किसी भी दाण्डिक विधि में नकारात्मक भार अधिरोपित नहीं किया गया हो तब तक अभियुक्त से सबूत का भार निर्वहन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। यदि कोई विधिक उपधारणा नहीं हो तो अभियुक्त पर साबित करने के भार को अधिरोपित नहीं किया जा सकता। ऐसे किसी भी विधिक प्राविधान न होने के कारण अभियोजन को अपने मामले को अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्ध करने के लिए तर्क पूर्ण संदेह से परे साबित करने होगें।

31.6 The Hon'ble Apex court in **Padman Bibbar Vs State of Odisha 2025 Live Law (SC) 613** held that suspicion however so strong would not be replace the proof beyond reasonable doubt and **Vaibhav Vs State Maharashtra AIR 2025 SC 2996** held that mere suspicion however grave cannot take place of proof in criminal Trial.

32. उपरोक्त समस्त विश्लेषण एवं माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्थाओं के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अभियुक्तगण **हसीन खॉ, जाहिद उर्फ नाम** एवं **सखावत उर्फ हिप्पी** के विरूद्ध विशेष सत्र वाद संख्या–254/2008, मु0अ0सं0–194/08 अन्तर्गत धारा–452, 302/34, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3(1), उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 तथा सत्र परीक्षण संख्या 415/2009 मु0अ0सं0 282/2008 अन्तर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

आदेश

1. अभियुक्तगण **हसीन खॉ, जाहिद उर्फ नाम** एवं **सखावत उर्फ हिप्पी** के विरूद्व विशेष सत्र वाद सं0–254/2008 मुकदमा अपराध सं0–194/2008 धारा–452, 302/34, 323/34 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(1), उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी किया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 तथा अभियुक्त **सखावत उर्फ हिप्पी** को सत्र परीक्षण सं0–415/2009 मुकदमा अपराध सं0–282/2008 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम थाना हाफिजगंज के अधीन लगाये गये अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

2. अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके जमानतनामे एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते है और जमानतियों को उनके दायित्वो से उन्मोचित किया जाता है।

3. अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वह दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–437–ए के अनुपालन में सात दिन की अवधि में रूपये 20,000/– का एक व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के एक–एक प्रतिभू इस आशय की प्रस्तुत करें यदि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपील होती है तो अभियुक्तगण तलब करने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगें।

4. वस्तु प्रदर्श यदि कोई हो तो वह दौरान मियाद अपील सुरक्षित रखा जाये। अपील न होने की दशा में उक्त वस्तु प्रदर्श नियमानुसार अपील का समय बीतने पर निस्तारित किया जाये और अपील की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किया जाये।

5. इस निर्णय की एक प्रति सत्र, परीक्षण सं0–415/2009, की पत्रावली पर रखी जाये।

(तबरेज अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–5/
विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट, बरेली।
J.O .Code N0. UP-6298

दिनॉक 07.03.2026

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा दिनॉकित एवं स्व हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तबरेज अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–5/
विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट, बरेली।
J.O .Code N0. UP-6298

दिनॉक 07.03.2026

Digitally signed by Tabrez Ahmad
Date: 2026.03.07 17:50:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court